115

संख्याः /XVIII(II)/2013–1(06)/2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 7–5–2013

विषयः– नेशनल शिक्षा समिति चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, सलेमपुर राजपुताना, रूड़की, हरिद्वार को ग्राम हद्दीपुर ग्रान्ट, परगना रूड़की, जिला हरिद्वार में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 0.169 है0 भूमि दान में प्राप्त किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1613/भूमि व्यवस्था–2012 दि0–19.5.2012 एवं पत्र सं0–189/जिला भू0व्य0सहा0–2012 दि0–12.9.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, नेशनल शिक्षा समिति चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, सलेमपुर राजपुताना, रूड़की, हरिद्वार को ग्राम हद्दीपुर ग्रान्ट, परगना रूड़की, जिला हरिद्वार में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की स्थापना) हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खसरा सं0–118 मि0/0.169 है0 भूमि को दान मे प्राप्त किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– समिति धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि प्राप्त करने के लिये अर्ह होगा।

2– समिति द्वारा दान में प्राप्त की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के दाननामा के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ ग्रहण किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि अंतरण से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– प्रश्नगत भूमि के अंतरण के पूर्व सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा–123 के अन्तर्गत अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दाननामा रजिस्ट्रीकृत करा लिया जायेगा। 2

8– संस्था द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग मात्र निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने का उक्त भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

9– किसी भी दशा में प्रस्तावित समिति को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिये दान के तत्काल बाद भूमि का सीमांकन कर लिया जाय।

10– भूमि का संक्रमण अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में संक्रमण किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0–361/XVIII(II)/2013–1(06)/2012/समुदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. नेशनल शिक्षा समिति चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, सलेमपुर राजपुताना रूडकी हरिद्वार द्वारा प्रबंधक श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री बूल चन्द, निवासी ग्राम सलेमपुर राजपुताना, परगना भगवानपुर, जिला हरिद्वार।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।